भारतीय फिल्म जगत के प्रसिद्ध निर्माता, निदेशक, संगीतकार, रेखा-चित्रकार, कथाकार, उपन्यासकार एवं भारत रत्न से सम्मानित सत्यजीत रे जी की पुण्यतिथि पर उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि। — केशव प्रसाद मौर्य, डिप्टी सीएम, उप्र

'हमें बेवजह किया जा रहा बदनाम, किसानों ने नहीं रोके ऑक्सीजन टैंकर।'

— राकेश टिकैत, किसान नेता

संक्षिप्त खबरें

कर्मचारी की मौत से गुस्साए कर्मचारी नेता

नई दिल्ली। एनडीएमसी के एक आरएमआर कर्मचारी की कोरोना से हुई मौत पर कर्मचारी नेताओं ने नाराजगी जतायी है। कर्मचारी नेताओं ने चरक पालिका अस्पताल प्रबंधन पर लापरवाही का आरोप लगाया है। उनका कहना है कर्मचारी का शव अस्पताल में पड़ा रहा। देर शाम एनडीएमसी प्रशासन ने मृतक कर्मचारी के परिजनों की तात्कालिक मदद के लिए 50 हजार का चेक दिया है। इसकी पुष्टि एनडीएमसी कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति के रवींद्र नाथ भारती ने की है। कर्मचारी की मृत्यु से गुस्साए कर्मचारी नेताओं ने अस्पताल प्रबंधन पर लापरवाही का आरोप लगाया। उनका आरोप है कि समय पर उपचार शुरू नहीं किया। एनडीएमसी कर्मचारी महागठबंधन के अध्यक्ष कृष्णपाल खटाना का आरोप है कि कोरोना टेस्ट के दौरान ही कामेश्वर प्रसाद की मौत हो गई। महागठबंधन ने मृतक के परिजनों के 15 लाख रुपए के मुआवजे की मांग की है। सूत्रों का कहना है कि अधिकारियों ने कर्मचारियों के गुस्से को देखते हुए आनन फानन में मृतक कर्मचारी के परिजनों को 50 हजार रुपए का चेक भिजवा दिया।

मैक्स अस्पताल को मिली ऑक्सीजन

नई दिल्ली। घंटों इंतजार के बाद मैक्स हॉस्पिटल्स ग्रुप को शुक्रवार सुबह आईएनओएक्स से मैक्स (साकेत) अस्पताल के लिए ऑक्सीजन मिली। अस्पताल ने कहा, 'हमें मैक्स साकेत और मैक्स स्मार्ट में आपातकालीन ऑक्सीजन आपूर्ति मिली है जो अगले 2 घंटे तक चलेगी।' हालांकि, एक आधिकारिक बयान में मैक्स अस्पतालों ने कहा, "ऑक्सीजन की आपूर्ति अगले 3 घंटे तक चलेगी। हमें अभी अधिक ऑक्सीजन का इंतजार है।'ऑक्सीजन की आपूर्ति के लिए एक एसओएस को यह कहते हुए बुलाया गया था कि अस्पताल गुरुवार देर रात (1 बजे) से ऑक्सीजन का इंतजार कर रहा है यहां 700 से अधिक मरीज अस्पताल में भर्ती हैं। अस्पताल को ऑक्सीजन की तत्काल जरूरत है। डीसीपी साउथ दिल्ली ने ट्वीट किया कि ऑक्सीजन ले जाने वाला वाहन मैक्स स्मार्ट तक पहुंच गया है। एक अन्य वाहन मैक्स ईस्ट वेस्ट के लिए रास्ते में है। वरिष्ठ अधिकारी स्थिति की निगरानी कर रहे हैं।पिछले तीन दिनों से राष्ट्रीय राजधानी में ऑक्सीजन की कमी के साथ दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (डीडीएमए) ने दिल्ली पुलिस को अस्पतालों में आपूर्ति के लिए ऑक्सीजन ले जाने वाले वाहनों के लिए एक ग्रीन कॉरिडोर देने का निर्देश दिया है।

राजधानी में लागू लॉकडाउन के दौरान सदर बाजार में पसरा सन्नाटा। फोटो : एसएनबी

ऑक्सीजन खपत की जानकारी दें अस्पताल

■ संजय के झा

नई दिल्ली। एसएनबी

नई दिल्ली। दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य विभाग के विशेष कार्याधिकारी आशीष चन्द्र वर्मा ने शुक्रवार को जारी आदेश में राजधानी के सभी अस्पताल प्रशासन को निर्देश दिया है कि वे अपने अस्पताल में उपलब्ध ऑक्सीजन क्षमता का डाटा तैयार करें व बताएं कि कितने ऑक्सीजन सिलेंडर अस्पताल में मौजूद हैं। गौरतलब है कि प्रत्येक अस्पताल को ऑक्सीजन का प्रतिदिन का कोटा निर्धारित किया गया है।

कोटा का समयसमय पर रिव्यू किया जाएगा। प्रत्येक अस्पताल द्वारा निर्धारित कोटा का ऑक्सीजन उपयोग में लाया जा सकेगा। सरकार ने ऑक्सीजन के अनधिकृत उपयोग पर शिकंजा कस दिया है। जारी आदेश में कहा कि यह सूचना मिली है कि कुछ अस्पताल भारत सरकार के गाइडलाइन में आवंटित क्षमता से अधिक ऑक्सीजन का उपयोग कर रहे हैं। सभी अस्पताल ऑक्सीजन खपत का तुरंत ऑडिट करें। आवंटित क्षमता का ऑक्सीजन उपयोग करें व अत्यधिक खपत पर कंट्रोल करें, कम से कम समय में इस आदेश का पालन शुरू करें।

दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य विभाग ने जारी किया आदेश

कुछ अस्पतालों में आवंटित क्षमता से अधिक ऑक्सीजन के उपयोग की शिकायत

सरकार आपात स्थिति के लिए रखेगी ऑक्सीजन का स्टॉक

आशीष चंद्र वर्मा ने आदेश दिया है कि प्रत्येक अस्पताल एक वरिष्ठ अधिकारी को ऑक्सीजन खपत के संबंध में ऑफिसर इंचार्ज नियुक्त करें। यह अधिकारी पूरे अस्पताल के ऑक्सीजन खपत से सभी मामलों के लिए अधिकृत होंगे और आपात परिस्थिति में दिल्ली सरकार से ऑक्सीजन की डिमांड कर सकेंगे व अपने अस्पताल द्वारा ऑक्सीजन खपत संबंधी डाटा भेजेंगे। सरकार किसी भी असाधारण परिस्थिति के लिए ऑक्सीजन का स्टॉक रखेगी। अगर किसी अस्पताल में तीन घंटे से कम समय के लिए ही ऑक्सीजन बचा है तो वे इस स्टॉक से ऑक्सीजन डिमांड कर सकेंगे। लेकिन यह डिमांड अस्पताल द्वारा नियुक्त ऑफिसर इंचार्ज ही करेंगे। साधारण परिस्थिति में सभी अस्पताल अपने ऑक्सीजन स्टॉक से मरीज को आपूर्ति करेंगे। साथ ही सभी ऑक्सीजन सप्लायरों व वेंडर से प्रतिदिन ऑक्सीजन सप्लाई का डाटा सरकार को भेजने कहा गया है।

कोरोना मरीजों की मदद में निगमों का साथ नहीं दे रही सरकार : गुप्ता

नई दिल्ली (एसएनबी)। भाजपा ने आरोप लगाया है कि प्रदेश सरकार कोरोना महामारी से प्रभावितों की सहायता में नगर निगमों का साथ नहीं दे रही है।

प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने प्रेस वार्ता में कहा कि राजधानी महामारी से लड़ रही है और दिल्ली के मुखिया विज्ञापन और अपना चेहरा चमकाने में व्यस्त है। इस समय केजरीवाल सरकार को राजनीति से ऊपर उठकर काम करना चाहिए। गुप्ता ने कहा कि भाजपा सांसद, विधायक, तीनों नगर निगम के साथ मिल कर काम करना चाहते है, लेकिन केजरीवाल सरकार निगम स्कूलों को कोविड सेंटर बनाने की अनुमति नहीं दे रही है। भाजपा सांसद गौतम गंभीर को आइसोलेशन ऑक्सीजन बेड बनाने की अनुमति प्रदेश सरकार द्वारा अभी तक नहीं मिल पाई है। उसी तरह से आईटीबीपी द्वारा 1000 बेड वाला क्वारंटीन सेंटर बनाने का प्रस्ताव केजरीवाल सरकार ने लटकाए रखा। केजरीवाल सरकार को घर से बाहर आकर लोगों की सहायता करनी चाहिए, यमुना स्पोर्ट्स काम्प्लेक्स में दिल्ली सरकार द्वारा आइसोलेशन सेंटर खोला गया, लेकिन वहां के डॉक्टर ही बता रहे है कि वहां कोई सुविधा ही नहीं है। उन्होंने कहा कि केजरीवाल जी, सिर्फ बेड लगा देने से किसी का इलाज नहीं होता उसके लिए कम से कम जरूरी और मूलभूत चीजों का होना जरूरी है। उन्होंने कहा कि भाजपा की ओर से सभी दलों की मीटिंग बुलाने की बात पर भी केजरीवाल सरकार द्वारा अभी तक कोई संज्ञान नहीं लिया गया है। तीनों निगमों सहित दिल्ली के सभी भाजपा सांसद, विधायक कार्यकर्ता के साथ सरकार की मदद करने के लिए हर समय तैयार है।

केजरीवाल जी, सिर्फ बेड लगाने से इलाज नहीं होता उसके लिए मूलभूत चीजों का होना भी जरूरी

सार्थक कदम उठाए सरकार : बिधूड़ी

नई दिल्ली (एसएनबी)। कोरोना और आक्सीजन से राजधानी के बेकाबू हुए हालात पर चिंता जताते हुए विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष रामवीर सिंह बिधूड़ी ने सरकार से आग्रह किया है कि वह सकारात्मक और ठोस कदम उठाए। साथ ही आरोप लगाया है कि एक बार फिर दिल्ली सरकार फेल हुई है।

नेता प्रतिपक्ष ने कहा है कि सरकार केवल राजनीति कर रही है, जबकि मेरा मानना है कि इस मुद्दे पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। इस समय मिलकर काम करने की जरूरत है। जिससे पीड़ितों और उनके परिजनों का सरकार पर भरोसा बना रहे। सरकार को चाहिए कि वह ठोस कदम उठाए। दिल्ली में कोरोना की यह चौथी लहर है, लेकिन सरकार ने पुराने अनुभवों से कुछ नहीं सीखा। उसी का नतीजा है कि दिल्ली सरकार केन्द्र का मुंह देख रही है। सरकार को एक साल का मौका मिला, लेकिन सरकार ने अस्पतालों में आईसीयू बेड और वेंटीलेटर बढ़ाने को कोशिश भी नहीं की। स्थिति यह है कि सरकार निजी अस्पतालों के भरोसे हाथ पर हाथ रखे बैठी रही।

उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार के अस्पताल नहीं होते, तो स्थिति और बदतर होती। डीआरडीओ, आईटीबीपी, रेलवे के अस्पालों से सरकार को काफी बेड मिले। सेना के अस्पतालों ने भी मदद की। उन्होंने आरोप लगाया ने कोरोना नई शराब नीति तो बनाय, लेकिन स्वास्थ्य नीति का भट्टा बिठा दिया। जबकि सरकार को स्वास्थ्य सुविधाओं पर खर्च के लिए छह साल में 3,07,029 करोड़ रुपए का बजट मिला। सरकार की इस अव्यवस्था के चलते ही राजधानी संक्रमण की दर 36.24 पहुंच गई है। देश में सबसे तेज संक्रमण फैलने की दर दिल्ली में है। दिल्ली के लोगों को वर्ल्ड क्लास स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया कराने के सरकार के दावे झूठे है। उन्होंने आरोप लगाया कि दिल्ली में आक्सीजन के साथ ही जरूरी दवाइयों की भी भारी कमी है।

दिल्ली सरकार एक बार फिर फेल

'शशांक' फिल्म सुशांत के जीवन पर आधारित नहीं : निदेशक

नई दिल्ली (एसएनबी)। शशांक फिल्म के निदेशक सरोज मिश्रा ने हाईकोर्ट से कहा कि यह फिल्म दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत के जीवन पर पर आधारित नहीं है, बल्कि यह चार ऐसे लोगों के जीवन पर आधारित है जो दूसरे शहर से मुंबई आकर फिल्मी दुनिया में अपनी पहचान बनाने को लेकर जद्दोजहद करते रहे और उन्हें भाई भतीजावाद से काफी लड़ना पड़ा था। यह मुख्य रूप से वंशवाद के खिलाफ फिल्म है।

निदेशक ने यह भी कहा कि फिल्म के नाम में काफी अंतर है और मुंबई फिल्म इंडस्ट्री में फैले वंशवाद के खिलाफ यह फिल्म चार लोगों के संघर्ष पर आधारित है। ऐसे में इस फिल्म की दोनों में कोई तुलना नहीं है। सरोज मिश्रा ने यह हलफनामा न्यायमूर्ति मनोज कुमार ओहरी के समक्ष सुशांत के पिता कृष्ण किशोर सिंह की याचिका के जवाब में पर दाखिल किया है। सुशांत के पिता ने याचिका दायर कर कहा था कि उनके बेटे का नाम या उसकी पसंद को प्रस्तावित फिल्मों में इस्तेमाल करने से रोका जाए। उन्होंने कहा था कि सुशांत के जीवन पर आधारित आगामी या प्रस्तावित फिल्मों में न्याय- द जस्टिस, आत्महत्या या हत्या : ए स्टार वास लास्ट, शशांक हैं। अधिवक्ता अक्षय देव, वरु ण सिंह, अभिजीत पांडे के माध्यम से दायर याचिका में न्याय फिल्म आगामी जून में रिलीज होने वाली है, जबकि आत्महत्या या हत्या : ए स्टार वास लास्ट और शशांक की शूटिंग शुरू हो चुकी है। याचिका में आरोप लगाया है कि फिल्म निर्माता स्थिति का लाभ उठाने के लिए इस तरह की फिल्म बना रहे हैं। याचिकाकर्ता ने कहा कि उन्हें अंदेशा है कि इस तरह के विभिन्न नाटक, फिल्में, वेबसीरीज, किताबें, साक्षात्कार या अन्य सामग्री प्रकाशित हो सकती हैं जो उनके बेटे या उनके परिवार की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचा सकती हैं।

'शशांक' फिल्म के निदेशक सरोज मिश्रा ने हाईकोर्ट में दाखिल हलफनामे में कहा

सुशांत के पिता कृष्ण किशोर सिंह की याचिका के जवाब में किया दाखिल

कोरोना का कहर, शिक्षकों को वेतन भी नसीब नहीं

■ राकेश नाथ

नई दिल्ली। एसएनबी

एक तरफ कोरोना का कहर उस पर वेतन न मिलने से पैदा हुआ संकट। दिल्ली यूनिवर्सिटी के शिक्षक बीते साल से ही सैलरी संकट का बारम्बार सामना कर रहे हैं। शिक्षकों को फरवरी से अब तक का वेतन नहीं मिल पाया। ये मामला दिल्ली सरकार से वित्त पोषित डीयू से संबद्ध 12 कॉलेजों का है। मार्च में दिल्ली सरकार द्वारा करीब 82 करोड़ रुपए का अनुदान मिला था लेकिन बाकी घोषित करीब 28 करोड़ रुपए का अनुदान नहीं मिला है। इससे शिक्षकों के लिए फिर से बड़ी समस्या खड़ी हो गई है

डीयू के डीन ऑफ कॉलेजेस प्रो. बलराम पाणी ने बताया कि दिल्ली सरकार से एक बार फिर अनुदान नहीं मिला है। इससे सरकार से 100 फीसद वित्त पोषित कॉलेजों में शिक्षकों और कर्मचारियों को फरवरी महीने से अभी तक सैलरी नहीं मिला पाई है।

दिल्ली सरकार ने अभी तक 28 करोड़ रुपए नहीं दिया गया। हम लोग पत्र भी लिख रहे हैं। ये पैसा देने का वादा किया गया था, लेकिन ये अनुदान अभी तक नहीं मिला है। पहले जो अनुदान मिला था, उससे जनवरी तक का वेतन दे दिया गया था लेकिन फरवरी और उसके बाद की सैलरी नहीं मिल पाई है। बता दें कि ये पहली बार नहीं है कि कॉलेजों को अनुदान नहीं मिला है। बीते साल से ही शिक्षकों को बारम्बार वेतन के लिए गुहार लगानी पड़ी है। अनुदान न देने को लेकर सरकार की ओर से कॉलेजों के पास पर्याप्त फंड होने की बाद कही गई। कभी स्टूडेंट फंड से सैलरी देने को कहा गई तो कभी कॉलेजों पर वित्तीय अनियमितताओं का भी आरोप लगा। इस दौरान प्रिंसिपल एसोसिएशन ने भी मुख्यमंत्री से मुलाकात कर गुहार लगाई। डीयू के कार्यवाहक कुलपति के नेतृत्व में टीम ने उप मुख्यमंत्री से मुलाकात कर संवाद किया और समस्या को संवाद से सुलझाने का प्रयास किया लेकिन ये प्रयास रंग भी लाए।

दिल्ली विश्वविद्यालय के शिक्षक बिना वेतन निभा रहे जिम्मेदारी, छात्रों की ले रहे ऑनलाइन क्लासेज

दिल्ली सरकार से मिलने वाले 28 करोड़ रुपए भी नहीं मिले

फरवरी से 100 फीसद वित्त पोषित कॉलेजों में सैलरी संकट

दिल्ली यूनिवर्सिटी शिक्षक संघ ने भी हड़ताल आदि विरोध के तरीके अपनाए। दीन दयाल उपाध्याय कॉलेज के प्राचार्य प्रो. हेमचंद जैन ने बताया कि 16 मार्च को प्रिंसिपल एसोसिएशन ने मुख्यमंत्री के साथ बैठक की थी, जिसमे बचे हुए अनुदान करीब 28 करोड़ रुपए दिए जाने पर सहमति बनी लेकिन बाद में इससे देने के लिए मना कर दिया गया। अब प्रथम तिमाही का अनुदान मिलना है, जो चार महीने का है। ये धनराशि करीब 60 करोड़ रूपए है। हमारी मांग है कि सरकार जल्द से जल्द अनुदान जारी करे, जिससे कोरोना काल में शिक्षकों और स्टाफ को राहत मिल सके। कई शिक्षकों को कोरोना हो गया है।

डीयू उत्तरी व दक्षिणी परिसर में अस्थायी अस्पताल बनाने की मांग

नई दिल्ली (एसएनबी)। आम आदमी पार्टी के शिक्षक संगठन दिल्ली टीचर्स एसोसिएशन (डीटीए) ने दिल्ली विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर प्रो. पीसी जोशी से उत्तरी व दक्षिणी परिसर में शिक्षकों, कर्मचारियों व छात्रों के लिए ऑक्सीजन की सुविधाओं से युक्त 100 बिस्तरों का कोविड-19 की सुविधाओं से लैस अस्थायी अस्पताल बनाने की मांग की है। इससे विश्वविद्यालय और कॉलेजों में सेवारत कर्मचारियों, शिक्षकों और विद्यार्थियों को महामारी से बीमार होने पर यथा समय बेड मिल सके। दिल्ली में इस समय महामारी के चलते अस्पताल सभी बीमार लोगों को बेड के अभाव में भर्ती नहीं कर रहे हैं।

दिल्ली विश्वविद्यालय में कार्यरत बहुत से लोग कोरोना बीमारी से प्रभावित हुए हैं। ऐसी स्थिति में विश्वविद्यालय में कार्यरत लोगों को बचाने के लिए विश्वविद्यालय को पहल करनी चाहिए और अपने शिक्षकों, कर्मचारियों और विद्यार्थियों के लिए दोनों परिसर में कम से कम 100-100 बिस्तरों का अल्पकालिक अस्पताल जरूर खोलना चाहिए। दिल्ली टीचर्स एसोसिएशन (डीटीए) के प्रभारी डॉ. हंसराज ने बताया है कि जिस तरह से दिल्ली में कोरोना अपने पैर पसार रहा है और लगातार कोविड से लोग प्रभावित हो रहे हैं उसमें दिल्ली विश्वविद्यालय के शिक्षकों और कर्मचारियों में भी कोरोना संक्रमितों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। उन्हें अपने आसपास कहीं भी अस्पताल की सुविधाएं उपलब्ध नहीं हो रही हैं। उन्होंने बताया है कि वर्तमान समय में बीमारी से पीड़ित शिक्षकों को अस्पताल में इलाज़ के लिए जगह-जगह घूमना पड़ रहा है, बावजूद इसके उन्हें अस्पताल में जगह नहीं मिल पा रही है।

हर जगह कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है जिसके कारण अस्पताल में बिस्तरों की कमी हो गई है। इतना ही नहीं दिल्ली में बेड, ऑक्सीजन और वेंटिलेटर की भारी कमी देखी जा रही है। विश्वविद्यालय के शिक्षक और कर्मचारी दवाई, बेड के लिए दौड़ रहे हैं।

100-100 बिस्तरों के अस्पताल बनाने के लिए डीटीए ने मांग की

कोरोना से हो चुकी है कई शिक्षकों की मृत्यु

कई संक्रमित शिक्षकों ने बताया, नहीं मिल पाई अस्पतालों में जगह

ऑक्सीजन सिलेंडर की कालाबाजारी

नई दिल्ली (एसएनबी)। साउथ वेस्ट जिला के सागरपुर थाना पुलिस की टीम ने अवैध रूप से ऑक्सीजन के सिलेंडर जमा कर उसे ब्लैक में बेचने वाले को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने गिरफ्तार आरोपी के गोदाम से भरे हुए कुल 48 सिलेंडर ऑक्सीजन के सिलेंडर जब्त किए हैं। गिरफ्तार आरोपी की पहचान दशरथपुरी निवासी अनिल कुमार के रूप में हुई।

आरोपी के खिलाफ पुलिस ने जमाखोरी, ब्लैक मार्केटिंग व अन्य धाराओं में मामला दर्ज किया है।डीसीपी इंगित प्रताप सिंह ने बताया कि पेट्रोलिंग पर निकली सागरपुर थाना की टीम को दशरथपुरी गली नंबर 6 में स्थित गोदाम में अवैध रूप से ऑक्सीजन सिलेंडर रखे होने की सूचना मिली थी। सूचना पर एसीपी के निरीक्षण में टीम ने छापेमारी की।जहां टीम को 32 सिलेंडर 67 लीटर क्षमता वाले व 16 सिलेंडर 10 लीटर क्षमता वाले मिले। यश गोदाम एक मकान के ग्राउंड फ्लोर में बना हुआ था। जांच करने पर जानकारी मिली कि गोदाम का मालिक अनिल बिना लाइसेन्स इंडस्ट्रियल गैस सप्लाई का कान करता है। संक्रमण के फैलने के बाद बड़े ऑक्सीज की मांग के बाद उसने अपने गोदाम में काफी संख्या में बड़े सिलेंडर जमा कर लिया था। अब बड़े सिलेंडर से गैस निकल छोटे सिलेंडर में भरकर प्रति सिलेंडर 12,500 रुपये में बेच रहा था।

महत्त्वपूर्ण सूचना

रेलयात्रियों को सूचित किया जाता है कि परिचालनिक कारणों से निम्नलिखित स्पेशल एक्सप्रेस रेलगाड़ियों को उनके सामने दर्शायी गई तिथियों को निरस्त करने का निर्णय लिया गया है–

विशेष मेल/एक्सप्रेस रेलगाड़ियों का निरस्तीकरण

रेलगाड़ी सं. एवं नाम	निरस्तीकरण की तिथियां
[illegible] इंदौर जं. – दिल्ली सराय रोहिल्ला विशेष	23.04.2021 से 20.05.2021
[illegible] दिल्ली सराय रोहिल्ला – इंदौर जं. विशेष	23.04.2021 से 20.05.2021
04101 प्रयागराज संगम–कानपुर सेंट्रल विशेष	24.04.2021 एवं 25.04.2021
04102 कानपुर सेंट्रल–प्रयागराज संगम विशेष	24.04.2021 एवं 25.04.2021

नोट: किसी भी जानकारी के लिए रेलमदद हेल्पलाइन नं. 139 या भारतीय रेल की वेबसाइट: www.enquiry.indianrail.gov.in पर संपर्क करें

रेलमदद वेबसाइट देखें www.railmadad.indianrailways.gov.in

रेलमदद ऐप डाउनलोड करें

रेलमदद हेल्पलाइन नं. 139

पर हमें फॉलो करें

उत्तर रेलवे

आपकी सुविधा – हमारा ध्येय

हमें www.nr.indianrailways.gov.in पर मिलें

ग्राहकों की सेवा में मुस्कान के साथ

307/21

नीलामी द्वारा बिक्री के लिए सार्वजनिक सूचना (परिशिष्ट 4 क) (नियम 8(6))

[illegible]

प्रपत्र 'ए'

सार्वजनिक घोषणा

[भारतीय दिवाला और ऋण शोध अक्षमता बोर्ड (कार्पोरेट व्यक्तियों के लिए ऋण शोध अक्षमता समाधान प्रक्रिया) विनियमावली, 2016 के विनियम 6 के अधीन]

"कन्सोलिडेटेड कंस्ट्रक्शन कन्सोर्टियम लिमिटेड" के लेनदारों के ध्यानार्थ

संबंधित विवरण

1.	कार्पोरेट देनदार का नाम	कन्सोलिडेटेड कंस्ट्रक्शन कन्सोर्टियम लिमिटेड
2.	कार्पोरेट देनदार के निगमन की तिथि	11.07.1997
3.	प्राधिकरण जिसके अधीन कार्पोरेट देनदार निगमित/पंजीकृत है	रजिस्ट्रार ऑफ कम्पनीज, चेन्नई
4.	कार्पोरेट देनदार की कार्पोरेट पहचान संख्या/सीमित दायित्व पहचान संख्या	L45201TN1997PLC038610
5.	कार्पोरेट देनदार के पंजीकृत कार्यालय तथा प्रधान कार्यालय (यदि कोई) का पता	पंजी. कार्यालय : 8/33, [illegible], [illegible] कॉलोनी, [illegible], चेन्नई, तमिलनाडु–600 086
6.	कार्पोरेट देनदार के संबंध में ऋण शोध अक्षमता आरंभन तिथि	आदेश की तिथि : 20–04–2021 अंतरिम समाधान प्रोफेशनल को सूचना की तिथि : 21–04–2021
7.	ऋण शोध अक्षमता समाधान प्रक्रिया के समापन की पूर्वानुमानित तिथि	18.10.2021
8.	अंतरिम समाधान प्रोफेशनल के रूप में कार्यरत ऋण शोध अक्षमता प्रोफेशनल का नाम और रजिस्ट्रेशन नम्बर	नाम : कृष्णास्वामी वासुदेवन पंजीकरण संख्या : IBBI/IPA-001/IP-P00155/2017-18/10324
9.	अंतरिम समाधान प्रोफेशनल का पता और ई-मेल, जैसाकि बोर्ड में पंजीकृत है।	पता : 17बी/7बी, मारुति नगर, [illegible], चेन्नई – 600 004 ई मेल : cavasu1967@gmail.com
10.	अंतरिम समाधान प्रोफेशनल का, पत्राचार हेतु प्रयुक्त, पता और ई-मेल	पता : 17बी/7बी, मारुति नगर, [illegible], चेन्नई 600 004 ई–मेल : (क) cirp.cccl@gmail.com (ख) support@gbov.in
11.	दावा प्रस्तुत करने हेतु अंतिम तिथि	05.05.2021
12.	[illegible]	लागू नहीं
13.	किसी श्रेणी में लेनदारों के अधिकृत प्रतिनिधि के रूप में कार्य करने हेतु चिह्नित ऋण शोध अक्षमता प्रोफेशनल के नाम (प्रत्येक श्रेणी के लिए तीन नाम)	लागू नहीं
14.	(क) संबंधित प्रपत्र और (ख) अधिकृत प्रतिनिधियों का विवरण पर उपलब्ध है :	(क) https://ibbi.gov.in/home/downloads (ख) लागू नहीं [illegible]

1. एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि राष्ट्रीय कम्पनी विधि न्यायाधिकरण, चेन्नई पीठ ने दिनांक 20.04.2021 को आईबीए/483/2020 में एक आदेश द्वारा कन्सोलिडेटेड कंस्ट्रक्शन कन्सोर्टियम लिमिटेड के विरुद्ध कार्पोरेट ऋण शोध अक्षमता समाधान प्रक्रिया आरंभ करने का आदेश दिया है।
2. कन्सोलिडेटेड कंस्ट्रक्शन कन्सोर्टियम लिमिटेड के लेनदारों से एतद्द्वारा अपना दावा उनके प्रमाण के साथ 05–05–2021 को अथवा पूर्व अंतरिम समाधान प्रोफेशनल के समक्ष ऊपर प्रविष्टि 10 के सामने वर्णित पते पर प्रस्तुत करने की मांग की जाती है।
3. वित्तीय लेनदारों को अपना दावा उनके प्रमाण के साथ केवल इलेक्ट्रॉनिक साधनों द्वारा प्रस्तुत करना होगा। अन्य सभी लेनदार अपना दावा उनके प्रमाण के साथ व्यक्तिगत रूप से, डाक द्वारा अथवा इलेक्ट्रॉनिक साधनों द्वारा प्रस्तुत कर सकते हैं।
4. दावे का प्रमाण भारतीय दिवाला और ऋण शोध अक्षमता बोर्ड (कार्पोरेट व्यक्तियों के लिए ऋण शोध अक्षमता समाधान प्रक्रिया) विनियमावली, 2016 के [illegible] के अनुसार प्रस्तुत करना होगा।
5. दावे के फर्जी अथवा भ्रामक प्रमाण की प्रस्तुति दंडनीय होगी।

कृष्णास्वामी वासुदेवन
अंतरिम समाधान प्रोफेशनल,
IBBI/IPA-001/IP-P00155/2017-18/10324

तिथि : 24.04.2021
स्थान : चेन्नई